

**2019 का विधेयक संख्यांक 367**

[दि एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

**विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019**

वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए भारत की  
संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय  
और विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019 है ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग दो खरब, बारह अरब, छियालीस करोड़ सोलह लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संदाय किए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की संचित निधि में से 2,12,46,16,00,000 रुपए का निकाला जाना ।

विनियोग ।

**अनुसूची**  
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

| 1<br>अनुदान<br>का<br>संख्यांक | 2<br>सेवाएं और प्रयोजन   | 3<br>निम्नलिखित से अनधिक राशियां |                        |           |                 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                               |  | संसद् द्वारा अनुदत्त             | संचित निधि पर<br>भारित | योग       |                 |
|                               |  | ₹0                               | ₹0                     | ₹0        |                 |
| 1                             | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग   | राजस्व                           | 5,00,000               | ..        | 5,00,000        |
| 2                             | कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग  | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 3                             | परमाणु ऊर्जा विभाग   | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
|                               |  | पूंजी                            | 3,00,000               | ..        | 3,00,000        |
| 4                             | आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) | राजस्व                           | 2,00,000               | ..        | 2,00,000        |
| 7                             | भेषजीय विभाग   | पूंजी                            | 1,60,00,00,000         | ..        | 1,60,00,00,000  |
| 8                             | नागर विमानन मंत्रालय   | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 10                            | वाणिज्य विभाग  | राजस्व                           | 2,18,03,00,000         | 2,00,000  | 2,18,05,00,000  |
|                               |  | पूंजी                            | 65,00,00,000           | ..        | 65,00,00,000    |
| 11                            | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग   | राजस्व                           | 4,00,50,00,000         | ..        | 4,00,50,00,000  |
|                               |  | पूंजी                            | 1,65,00,00,000         | ..        | 1,65,00,00,000  |
| 14                            | उपभोक्ता मामले विभाग   | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 15                            | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग   | राजस्व                           | 1,00,000               | 1,00,000  | 2,00,000        |
|                               |  | पूंजी                            | 2,00,000               | ..        | 2,00,000        |
| 16                            | कारपोरेट कार्य मंत्रालय  | राजस्व                           | 12,85,00,000           | ..        | 12,85,00,000    |
| 17                            | संस्कृति मंत्रालय  | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
|                               |  | पूंजी                            | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 19                            | रक्षा सेवाएं (राजस्व)  | राजस्व                           | 20,00,00,00,000        | ..        | 20,00,00,00,000 |
| 20                            | रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय  | पूंजी                            | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 22                            | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  | राजस्व                           | 24,08,00,000           | ..        | 24,08,00,000    |
|                               |  | पूंजी                            | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 23                            | पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय  | पूंजी                            | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
| 24                            | इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय                                    | राजस्व                           | 2,00,000               | ..        | 2,00,000        |
| 25                            | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय   | राजस्व                           | 3,00,000               | ..        | 3,00,000        |
|                               |  | पूंजी                            | 2,00,000               | 29,00,000 | 31,00,000       |
| 26                            | विदेश मंत्रालय   | राजस्व                           | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |
|                               |  | पूंजी                            | 1,00,000               | ..        | 1,00,000        |

| 1  | 2   | 3      | रु0             | रु0             | रु0             |
|----|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | आर्थिक कार्य विभाग                            | राजस्व | 13,69,00,000    | ..              | 13,69,00,000    |
|    |   | पूँजी  | 33,97,00,000    | ..              | 33,97,00,000    |
| 29 | वित्तीय सेवाएं विभाग                          | पूँजी  | 25,00,00,00,000 | ..              | 250,0,00,00,000 |
| 32 | प्रत्यक्ष कर                                  | पूँजी  | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
| 33 | अप्रत्यक्ष कर                                 | पूँजी  | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
| 34 | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग             | राजस्व | 27,39,00,000    | ..              | 27,39,00,000    |
| 38 | राज्यों को अंतरण                              | राजस्व | 1,00,000        | 10,00,00,00,000 | 10,00,01,00,000 |
| 40 | पशुपालन और डेयरी विभाग                        | राजस्व | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
| 41 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय              | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 42 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग              | राजस्व | 7,00,000        | ..              | 7,00,000        |
|    |   | पूँजी  | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
| 43 | स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग                      | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 44 | भारी उद्योग विभाग                             | पूँजी  | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 46 | गृह मंत्रालय                                  | राजस्व | 88,20,64,00,000 | ..              | 88,20,64,00,000 |
| 47 | मंत्रिमंडल                                    | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 48 | पुलिस   | राजस्व | 33,87,48,00,000 | ..              | 33,87,48,00,000 |
|    |   | पूँजी  | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 49 | अंदमान और निकोबार द्वीप समूह                  | राजस्व | 3,00,000        | ..              | 3,00,000        |
|    |   | पूँजी  | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 50 | चंडीगढ़                                       | पूँजी  | ..              | 60,00,00,000    | 60,00,00,000    |
| 51 | दादरा और नागर हवेली                           | राजस्व | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
|    |   | पूँजी  | 5,00,00,000     | ..              | 5,00,00,000     |
| 53 | लक्षद्वीप                                     | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 56 | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय                  | राजस्व | 2,00,000        | 9,10,00,000     | 9,12,00,000     |
|    |   | पूँजी  | 3,00,000        | ..              | 3,00,000        |
| 57 | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग                | राजस्व | 4,00,000        | ..              | 4,00,000        |
| 58 | उच्चतर शिक्षा विभाग                           | राजस्व | 3,00,000        | ..              | 3,00,000        |
| 60 | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 61 | पेय जल और स्वच्छता विभाग                      | राजस्व | 2,00,000        | ..              | 2,00,000        |
| 62 | श्रम और रोजगार मंत्रालय                       | राजस्व | 3,00,000        | ..              | 3,00,000        |
|    |   | पूँजी  | 5,10,00,000     | ..              | 5,10,00,000     |
| 64 | निर्वाचन आयोग                                 | राजस्व | 6,22,00,000     | ..              | 6,22,00,000     |
|    | भारित—भारत का उच्चतम न्यायालय                 | राजस्व | ..              | 20,58,00,000    | 20,58,00,000    |
| 68 | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय                     | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
| 69 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय               | राजस्व | 1,00,000        | ..              | 1,00,000        |
|    |   | पूँजी  | 60,00,00,000    | ..              | 60,00,00,000    |

| 1   | 2   | 3      |                          |                          |
|-----|---|--------|--------------------------|--------------------------|
|     |   | ₹0     | ₹0                       | ₹0                       |
| 71  | संसदीय कार्य मंत्रालय                       | राजस्व | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 72  | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय       | पूंजी  | 2,00,000                 | 2,00,000                 |
| 74  | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय        | राजस्व | 10,00,00,00,000          | 10,00,00,00,000          |
| 75  | योजना मंत्रालय                              | राजस्व | 22,18,00,000             | 22,18,00,000             |
| 79  | राज्य सभा                                   | राजस्व | 20,00,00,000             | 20,00,00,000             |
| 82  | रेल मंत्रालय                                | पूंजी  | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 83  | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय            | पूंजी  | 2,00,000                 | 2,00,000                 |
| 84  | ग्रामीण विकास विभाग                         | राजस्व | 6,00,000                 | 6,00,000                 |
| 86  | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग               | राजस्व | 54,00,00,000             | 54,00,00,000             |
|     |   | पूंजी  | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 89  | पोत परिवहन मंत्रालय                         | राजस्व | 5,00,000                 | 5,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 22,87,00,000             | 22,87,00,000             |
| 90  | कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय              | राजस्व | 2,00,000                 | 2,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 50,01,00,000             | 50,01,00,000             |
| 91  | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग            | राजस्व | 3,00,000                 | 3,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 93  | अंतरिक्ष विभाग                              | राजस्व | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 6,66,00,00,000           | 6,66,00,00,000           |
| 94  | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | राजस्व | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 96  | वस्त्र मंत्रालय                             | राजस्व | 3,00,000                 | 3,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 97  | पर्यटन मंत्रालय                             | राजस्व | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 98  | जनजातीय कार्य मंत्रालय                      | राजस्व | 1,00,000                 | 1,85,00,00,000           |
|     |   | पूंजी  | 1,00,000                 | 1,00,000                 |
| 99  | महिला और बाल विकास मंत्रालय                 | राजस्व | 2,00,000                 | 2,00,000                 |
|     |   | पूंजी  | 5,00,00,000              | 5,00,00,000              |
| 100 | युवा कार्य और खेल मंत्रालय                  | राजस्व | 225,01,00,000            | 225,01,00,000            |
|     | <b>योग</b>                                  |        | <b>1,99,71,16,00,000</b> | <b>12,75,00,00,000</b>   |
|     |   |        |                          | <b>2,12,46,16,00,000</b> |

## **उद्देश्यों और कारणों का कथन**

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो भारत की संचित निधि पर भारत अनुपूरक व्यय और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

**निर्मला सीतारमण**